# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

111/2025

श्री पवन कुमार सैनी पुत्र स्व. गोपाल लाल सैनी निवासी मोहल्ला मेहन्दीबाग शिव मन्दिर के पास तहसील व जिला टोंक --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

<u>निर्णय</u> दिनांक 30.12.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी का नाम और कार्यालय का नाम व पता, की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

(2) श्रीमान् दिनांक 09.09.2025 क्रम संख्या 4221 को दिये गये प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक की गई कार्यवाही व सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2228 दिनांक 20.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 23.12.2025 को उपस्थित हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1138 दिनांक 30.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 951 दिनांक 13.10.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 952 दिनांक 13.10.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 2376 दिनांक 4.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 2700 दिनांक 18.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 2701 दिनांक 18.12.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)

770